सूचना के लिए अपील पर कार्रवाई
अपील प्राधिकारियों के लिए
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत
विचार हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

भूमिका

जन सूचना विधेयक लोक सभा में दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया था। संसद के दोनों सदनों ने इसे मई, 2005 को पारित किया। 15 जून को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा अधिनियम की सूचना भारत के राजपत्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के 120 दिन के पश्चात्, 12 अक्टूबर, 2005 को यह पूरी तरह से लागू हो गया। संसद द्वारा 2002 में पारित सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम निरस्त हो गया।

सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के अधीन सरकार के सभी स्तर-केन्द्र, राज्य, जिले तथा पंचायत और नगर निगम जैसी सभी स्वशासी संस्थाएं आती हैं। यह गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, कम्पनियों तथा ऐसी अन्य निजी संस्थाओं पर भी लागू होता है, जो सरकार से पर्याप्त प्राप्त राशि से चलाए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को ऐसी संस्थाओं से सूचना अथवा रिकार्ड की प्रतियां मांगने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है तथा सम्बद्ध संस्थाओं को सूचना देनी चाहिए।

नागरिकों को सूचना के अधिकार का उल्लेख संविधान के आधारभूत अधिकारों में स्पष्ट रूप से नहीं है। परन्तु, उच्चतम न्यायालय ने 15 से अधिक मामलों में घोषणा की है कि जीवन तथा स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 21) तथा विचारों की अभिव्यक्ति में स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 19 (1)) में प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास सूचना प्राप्त करने का अधिकार निहित है। संसद ने आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को सार्वजनिक संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने के आधारभूत अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पारित किया है।

आर.टी.आई. अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्य में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व भावना लाना,

तथा

- सार्वजनिक अधिकारियों के नियन्त्रण में सूचना तक नागरिकों की पहुंच के लिए व्यवस्था स्थापित करना।

सूचना की परिभाषा

- सूचना से तात्पर्य रिकार्ड, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, मत, परामर्श, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लांग पुस्तिका ठेकों, प्रतिवेदन, कागजात, सेम्पल, मांडल, किसी भी इलेक्ट्रानिक स्वरूप में संचित डाटा सहित सभी सामग्रियों से है।

- किसी निजी संस्था से सम्बद्ध ऐसी कोई सूचना जिसे सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन प्राप्त की जा सकती है।

रिकार्ड की परिभाषा

- कोई भी दस्तावेज, पाण्डुलिपि या फाइल;
- कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिल्म या दस्तावेज की प्रतिकृति;
- माइक्रो फिल्म से ली गई कोई तस्वीर अथवा तस्वीरें (चाहे वे बड़ी की गई हों अथवा नहीं); और
- कोई अन्य सामग्री जो किसी कम्प्यूटर अथवा ऐसे ही यन्त्र से तैयार की गई हो।

'फाइल' की परिभाषा में फाइल की नोटिंग भी शामिल है। सीआईसी ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि फाइलों में की गई टिप्पणियां आरटीआई अधिनियम के अधीन 'सूचना' की परिभाषा के अन्तर्गत ही एक प्रकार की सूचना है। जब तक अधिनियम की धारा 8(1) में बताई गई छूट लागू न हो मांगे जाने पर फाइल में की गई टिप्पणियां भी बताई जानी चाहिए।

सूचना के अधिकार की परिभाषा:
इस अधिनियम के अधीन किसी सावर्जनिक प्राधिकारी के नियन्त्रण में प्राप्य सूचना में निम्न का अधिकार भी शामिल है:

- कार्य, दस्तावेजों, रिकार्ड की जांच;
- दस्तावेजों या रिकार्ड से सूचना, अंश या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना;
- सामान का प्रमाणित सेम्पल लेना;
- डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा कम्प्यूटर या किसी और यन्त्र में रखी गई सूचना का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना।

आरटीआई अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से एक है-सूचना, जिसे संसद या राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उससे किसी अन्य व्यक्ति को भी वंचित नहीं रखा जा सकता है।

सूचना प्राप्त करने के लिए 3-स्तरीय व्यवस्था

व्यवस्था के **प्रथम स्तर** पर प्रत्येक सार्वजनिक संस्था में प्रार्थना स्वीकार करने के लिए (इसे सूचना प्रार्थना भी कहा जाता है) जन सूचना अधिकारियों का नामांकन।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक सार्वजनिक संस्था में ऐसी अपीलों की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का नामांकन, जो उन मामलों पर विचार करेंगे जिनमें सूचना की प्रार्थना अस्वीकृत की गई हो। यदि नागरिक अपेक्षित सूचना नहीं प्राप्त करते हैं या वे प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं, उस स्थिति में उन्हें इस कानून के अधीन संस्था में नामजद प्रथम अधिकारी (ए.ए.) के पास अपील करने का अधिकार है।

तृतीय स्तर पर एक स्वतन्त्र केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) स्थापित किया गया है। यह आयोग उन मामलों पर विचार करता है जिनमें नागरिक ए.ए. के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है। आयोग के पास इस अधिनियम के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन पर नजर रखने का अधिकार व उत्तरदायित्व भी है। यह आयोग संसद के समक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

न्यायालयों की भूमिका

आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का निर्णय सभी पक्षों पर बाध्य है। परन्तु, स्मरण रहे कि यह कानून नागरिकों के आधारभूत अधिकारों से सम्बद्ध है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 224) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) के पास नागरिकों के आधारभूत अधिकारों सम्बन्धी मामलों पर विचार करने का अधिकार है। अतः तकनीकी तौर पर नागरिक के पास सीआईसी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की भूमिका

आरटीआई अधिनियम के अधीन नागरिकों से सूचना के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए कार्यालयों व संस्था की प्रशासकीय यूनिटों में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामजद किए जाने चाहिए। ये अधिकारी सूचना मांगी जाने पर 30 दिन के भीतर देने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस कानून के अन्तर्गत नागरिक द्वारा सम्पर्क के लिए मुख्य बिन्दु सीपीआईओ होगा। राज्य सरकारों के नियंत्रण में सार्वजनिक संस्थाओं में इन्हें राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) कहा जाता है।

केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी

आरटीआई अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार उप-डिविजनल या उप-जिला स्तर पर केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी नामजद करेंगी।

कृपया याद रखें -

- केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी सीपीआईओ का सहायक नहीं है।

राज्य सरकारों के नियंत्रण वाली सार्वजनिक संस्थाओं में इन्हें राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी (एसएपीआईओ) कहा जाता है।

कानून के अधीन सीएपीआईओ डाकघर के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक सीएपीआईओ का कर्तव्य व उत्तरदायित्व है कि वह जनता से सूचना संबंधी प्रार्थना प्राप्त करे तथा उन्हें उन सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थाओं को भेजे जिनके पास प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना हो सकती है।

कृपया याद रखें -

- प्रार्थी को सूचना देने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का है। (सीएपीआईओ प्रार्थी को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।)

धारा 8 और 9 में सूचना अधिकार में दी गईं छूट

आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में 10 श्रेणियां ऐसी बताई गई हैं जहाँ जानकारी न देने के लिए छूट दी गई है। परन्तु, प्रत्येक छूट वृहद् जन-हित को ध्यान में रख प्रयोग की जाएगी। यदि जानकारी देने में लाभ जन-हित न देने की दशा में होने वाली हानि से अधिक है तो सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। कृपया याद रखें, ये छूट की श्रेणियाँ सूचनाओं से सम्बद्ध है न कि रिकार्ड की श्रेणियों से। इसके अतिरिक्त धारा 9 में पीआईओ को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी किसी प्रार्थना को अस्वीकार कर दे जिसकी जारी होने से सरकार को छोड़ किसी तृतीय पक्ष के कॉपीराइट की अवहेलना होती हो। लेकिन इसमें भी निर्णय लेते समय जन-हित को ध्यान में रखा जाए। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 नीचे दी जा रही है –

8(1)(ए) ऐसी सूचना जिसे बताने से भारत की स्वतंत्रता व अखण्डता, रणनीति, राष्ट्र के वैज्ञानिक तथा आर्थिक हितों, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़े तथा अपराधों को बढ़ावा मिले।

8(1)(बी) वह सूचना जिसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय या ट्रिबुनल ने स्पष्ट रूप से प्रकाशन पर रोक लगाई हो या जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो।

8(1)(सी) ऐसी सूचना जिसे जारी करने से संसद या राज्य विधान मण्डल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो।

8(1)(डी) वाणिज्यिक आत्मविश्वास, कारोबारी गोपनीय बातों या बौद्धिक सम्पदा सहित वह सभी जानकारी जिसे जाहिर करने से किसी तृतीय पक्ष को प्रतियोगिता में नुकसान हो सकता हो। लेकिन यह उसी स्थिति में लागू नहीं होगा जब सक्षम प्राधिकारी यह मानता हो कि वृहद जन-हित में यह सूचना देना जरूरी है।

8(1)(ई) किसी के पास अमानत के तौर पर रखी गई सूचना, जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह विश्वास न हो कि वृहद जन-हित को देखते हुए सूचना देना जरूरी है।

8(1)(एफ) किसी विदेशी सरकार से भरोसे में ली गई सूचना।

8(1)(जी) ऐसी सूचना जिसे जाहिर करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा पर आंच आती हो या सूचना के स्रोत का बोध होता हो या कानून लागू करने व सुरक्षा कारणों से दी गई जानकारी।

8(1)(एच) वह जानकारी जिसे जाहिर करने से जांच प्रक्रिया या गिरफ्तारी या दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में रुकावट आती हो।

8(1)(आई) मंत्रिपरिषद्, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के रिकार्ड सहित केबिनेट दस्तावेज;

शर्त यह है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय, उसके कारण और वे तथ्य जिनके आधार पर निर्णय किए गए, निर्णयों के उपरान्त तथा मामला पूरा होने पर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

शर्त यह है कि इस धारा में छूट प्राप्त मामले भी बताए नहीं जाएंगे।

8(1)(जे) किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसी सूचना जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हितों से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो बेकार ही में व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देते हों। यह उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, जैसा भी हो, यह मानें कि वह सूचना जारी करना वृहद जन-हित में है।

प्रावधान है कि सूचना ज□ संसद या राज्यों के विधानमण्डलों क□ देने से इन्कार नही□की जा सकती, किसी व्यक्ति क□ देने से भी रा□की नही□जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से एक है-सूचना, जिसे संसद या राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से इन्कार नही□किया जा सकता, उससे किसी अन्य व्यक्ति क□ भी वंचित नही□रखा जा सकता है।

अपील प्राधिकारियों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व

आरटीआई अधिनियम ने ऐसे नागरिकों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक संस्था में कार्यप्रणाली तैयार की है ज□ सीपीआईओ के निर्णयों से संतुष्ट नही□हैं। केन्द्रीय सरकार ने अपने नियंत्रण में सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों क□ लिखित में निर्देश दिए हैं कि वे प्रार्थियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए अपील प्राधिकारी (एए) नामजद करें। द□ स्तरीय कार्यप्रणाली का यह प्रथम चरण है। आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत सीपीआईओ से पद में बड़ा अधिकारी अपील अधिकारी बन सकता है। केन्द्रीय सूचना आयो□ग (सीआईसी) अपील का दूसरा स्तर है। द□ों अपील संस्थाएँ हैं परन्तु एए तथा सीआईसी के अधिकारी तथा कार्य में काफी अन्तर है।

कृपया याद रखें -

- आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयो□ग के पास अपील पर निर्णय करने के लिए अर्ध न्यायिक अधिकारों के अलावा कानून का पालन सुनिश्चित करने तथा उस पर अमल करवाने के लिए प्रशासकीय अधिकार हैं। परन्तु एए क□ ये अधिकार नही□दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, शिकायत हो□ने पर सीआईसी क□ ऐसी किसी भी सार्वजनिक संस्था में सीपीआईओ नियुक्त करने का अधिकार है जहाँ इस पद पर को□ई अधिकारी नही□है। दूसरे, सीआईसी क□ यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्था से प्रार्थी द्वारा मां□गे गए स्वरूप में सूचना उपलब्ध कराए। तीसरे, सीआईसी क□ यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्था द्वारा कानून के बेहतर पालन के लिए उसके रिकार्ड के रखरखाव, प्रबन्धन और रिकार्ड मिटाने के लिए परिवर्तन क□ कहें। चैथे, सीआईसी क□ प्रति वर्ष सार्वजनिक संस्था से अनुपालन रिपो□र्ट मां□गाने का अधिकार है। पाँचवें, सीआईसी क□ अधिकार है कि वह प्रत्येक सार्वजनिक संस्था से एक वार्षिक रिपो□र्ट मां□गे जिसमें धारा 4 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने में पहल संबंधी प्रावधान का अनुपालन ब्यौरा हो□ एए क□ इनमें से को□ई अधिकार नही□दिए गए हैं।

- सीआईसी क□ आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत दूसरी अपील संस्था की भूमिका प्रभावी □ंग से निभाने के लिए सिविल अदालत के अधिकार दिए गए हैं। इससे सीआईसी किसी भी मामले से सम्बद्ध रिकार्ड, चाहे वे धारा 8 के अधीन छूट प्राप्त किए हों, मं□गाने का अधिकार है। एए के पास ये अधिकार नही□हैं, परन्तु, वरिष्ठ अधिकारी हो□ने के नाते एए अपील पर निर्णय लेते समय अपनी संस्था से रिकार्ड मं□गा सकता है।

- अनेक मामलों में पीड़ित इस कानून के अन्तर्गत गारण्टी प्राप्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए एए क□ छो□ सीधे सीआईसी के पास जा सकता है। उदाहरण के लिए, सीआईसी उन

शिकायतों पर विचार कर सकता है जहाँ सीपीआईओ ने सूचना की प्रार्थना स्वीकार करने से मना कर दिया ह या सीएपीआईओ ने सीपीआईओ क प्रार्थना या एए क अपील भेजने से मना कर दिया ह। एए के पास ऐसी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नही है। सीआईसी शिकायत पर केवल इसलिए विचार करने से भी इन्कार नही कर सकता कि अपीलकर्ता पहले एए के पास नही गया है।

- सीआईसी के पास सीएसीआईओ तथा सीपीआईओ क दण्डित कर 250/- रु. प्रतिदिन से अधिकतम 25,000/- रु. का दण्ड देने का अधिकार है। सीआईसी गलती करने वाले सीएपीआईओ/सीपीआईओ के विरुद्ध सार्वजनिक सस्था से अनुशासन कार्रवाई करने क भी कह सकता है। एए के पास सीपीआईओ क दण्ड देने का अधिकार नही है। परन्तु एए सार्वजनिक सस्था के नियमित नियमों तथा प्रक्रिया के अधीन सीपीआईओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर सकता है।

- सीआईसी क अधिकार है कि वह शिकायतकर्ता नागरिक क हुई हानि या क्षति की पूर्ति के लिए सार्वजनिक सस्था क आदेश जारी कर सकता है। एए के पास यह अधिकार नही है।

अतः, एए के पास नागरिकों से प्राप्त अपील पर विचार करते समय सीमित कर्तव्य व अधिकार हैं। परन्तु एए की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सीपीआईओ और पीड़ित प्रार्थी के बीच विवाद का निपटान करता है और इस प्रकार सीपीआईओ क अनुशासन कार्रवाई तथा दण्ड देने से बचाता है।

परिस्थितियाँ जहाँ अपील की जा सकती है

एए पीड़ित नागरिकों से निम्न परिस्थितियों में अपील प्राप्त कर सकता है -

- जहाँ सामान्य परिस्थिति में सीपीआईओ 30 दिन के भीतर प्रार्थित सूचना देने में असफल हुआ है।
- जहाँ किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता अथवा जीवन का सम्बन्ध ह सीपीआईओ 48 घण्टों में प्रार्थित सूचना देने में असफल ह।
- जहाँ प्रार्थी क लगे कि मागी गई सूचना के लिए सीपीआईओ द्वारा ली गई अतिरिक्त फीस युक्तिसगत नही है (यह प्रार्थना फीस के अतिरिक्त है)।
- जहाँ प्रार्थी क लगे कि उसके द्वारा मागी गई सूचना की प्रार्थना सम्बन्धी सीपीआईओ का आदेश युक्तिसगत नही है।
- जहाँ प्रार्थी प्रार्थना दाखिल करने के 30 दिन के बाद भी प्रार्थी क सीपीआईओ से काई सन्देश नही मिला ह।
- जहाँ प्रार्थी क लगे कि सीपीआईओ द्वारा आशिक सूचना देने का निर्णय युक्तिसगत नही है।
- जहाँ प्रार्थी क लगे कि सीपीआईओ ने जानबूझ कर गलत, आधी-अधूरी तथा गुमराह करने वाली सूचना उपलब्ध कराई है।

इन सभी मामलों में अपने निर्णय क न्यायसगत साबित करने का उत्तरदायित्व सीपीआईओ क है। आरटीआई अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रार्थी के लिए किसी भी समय सूचना मागने का कारण बताना जरूरी नही है।

तृतीय पक्ष द्वारा अपील

आरटीआई अधिनियम में पीआईओ के निर्णय से असन्तुष्ट तृतीय पक्ष द्वारा अपील का प्रावधान है। तृतीय पक्ष प्रार्थी अथवा उस सार्वजनिक सत्ता के अतिरिक्त कोई भी अन्य हो सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, निजी सत्ता या कोई अन्य सार्वजनिक सत्ता हो सकती है।

यदि नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना वास्तव में किसी तीसरे पक्ष से सम्बंधित है या सार्वजनिक सत्ता को गुप्त रखने के लिए दी गई है, तो सीपीआईओ को उस तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजकर यह पूछना चाहिए कि क्या वह सूचना दी जा सकती है, अथवा नहीं। सीपीआईओ को यह नोटिस प्रार्थना मिलने के 5 दिन के भीतर भेज देना चाहिए और तृतीय पक्ष को नोटिस मिलने के 10 दिन के भीतर मौखिक या लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यदि सीपीआईओ तृतीय पक्ष द्वारा विरोध के बावजूद जानकारी देने के पक्ष में निर्णय करता है तो तृतीय पक्ष को एए के समक्ष उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार है।

अपील प्राप्ति का तरीका

असन्तुष्ट जनता व्यक्तिगत रूप से या फिर डाक/कोरियर से अपील दायर कर सकती है। इसके अतिरिक्त सीपीआईओ को भी अपील पत्र भेजा जा सकता है। सीपीआई का कर्तव्य है कि वह सम्बद्ध एए को ऐसी सभी अपीलें भेजे।

डाक विभाग ने केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में सभी सार्वजनिक सत्ताओं के लिए नागरिकों से अपील प्राप्त करने के लिए देशभर के पोस्टल सर्किल में सीएपीआईओ की नियुक्ति की है। उन्हें अपील स्वीकार करने तथा 5 दिन के भीतर अपील पत्र सम्बद्ध एए को भेजने का अधिकार प्राप्त है। आपसे अपेक्षा है कि आप डाक विभाग के नामांकित सीएपीआईओ द्वारा भेजी गई अपील पर कार्रवाई करें। ऐसा न करने पर आपको केन्द्रीय सूचना आयोग की भर्त्सना का सामना करना पड़ सकता है।

कृपया याद रखें -

- अपील करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अपील प्राप्त करना, उन पर कार्रवाई करना और अपीलकर्ता पर किसी तरह का भार डाले बिना उनका निपटान जरूरी है।
- भारत सरकार ने अपील दायर करने के लिए कोई फार्म नियत नहीं किया है। अपील सादा कागज पर दायर की जा सकती है और इन्हें केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि ये किसी विशेष प्रारूप में नहीं है।
- अपील में निम्न जानकारियां व दस्तावेज होने चाहिए –

    - ❖ अपीलकर्ता का नाम
    - ❖ पूर्ण डाक पता, टेलीफोन नम्बर और ई-मेल (यदि हो तो) सहित अपीलकर्ता से सम्पर्क के विषय में विवरण
    - ❖ उस प्राधिकारी का पदनाम जिससे अपील की जा रही है
    - ❖ उस प्राधिकारी का नाम जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है (नाम, पदनाम और सीपीआईओ से सम्पर्क के विषय में विवरण)

- ❖ आरम्भ में मांगी गई जानकारी की प्रकृति व विवरण
- ❖ सीपीआई को भेजी गई सूचना/एए को भेजा गया अपील पत्र (जो भी लागू हो)
- ❖ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रार्थना को अस्वीकृति के विषय में सीपीआईओ द्वारा जारी पत्र (यदि हो तो) या
- ❖ पीआईओ के आदेश की प्रति/बताई गई वह सूचना जिसका विरोध किया जा रहा है, आंशिक जानकारी आदेश सहित, या
- ❖ पीआईओ द्वारा जारी उस पत्र की प्रति जिसमें सूचना देने के लिए अतिरिक्त लागत की सूचना दी गई हो और जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता अपील कर रहा हो (यदि हो तो)
- ❖ डीएए द्वारा जारी आदेश की प्रति, जिसका विरोध किया जा रहा है (यदि हो तो)
- ❖ तारीख, जिस दिन अपील दाखिल की जा रही हो।

• एए द्वारा प्राप्त प्रत्येक अपील की प्राप्ति जारी करना अच्छी प्रथा है। प्रत्येक अपील रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने ऐसे किसी रजिस्टर का प्रारूप नियत नहीं किया है। लेकिन, आप अपनी सार्वजनिक संस्था में प्रयोग के लिए रजिस्टर का प्रारूप तैयार कर सकते हैं।

अपील दायर करने के लिए समय-सीमा

आरटीआई अधिनियम में अपील दायर करने के लिए निम्न समय-सीमा का प्रावधान है –

- यदि प्रार्थी सीपीआईओ से अपनी प्रार्थना पर कोई निर्णय नहीं पाता - समयावधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर (आमतौर पर 30 दिन या 40 दिन, यदि तृतीय पक्ष से राय मांगी गई है तो)
- यदि प्रार्थी सीपीआईओ द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है या आंशिक सूचना मिलने पर सीपीआईओ के निर्णय का विरोध करता है-ऐसा निर्णय मिलने के 30 दिन के भीतर।
- (कृपया ध्यान दें - ठीक ऊपर बताई गई समय-सीमा सीपीआईओ द्वारा आर्डर जारी करने के दिन से शुरू नहीं होती है। यह प्रार्थी द्वारा पत्र मिलने के दिन से प्रारम्भ होती है)
- यदि एए यह मानता है कि अपीलकर्ता द्वारा समय-सीमा के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह देरी माफ कर सकता है और समय-सीमा समाप्त होने पर भी अपील स्वीकार कर सकता है।
- यदि तृतीय पक्ष सीपीआईओ के आदेश से असंतुष्ट है-ऐसे किसी आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर।

अपील पर निर्णय के लिए समय-सीमा

सामान्य तौर पर एए को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय दे देना चाहिए। परन्तु यह समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। समय-सीमा का विस्तार 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। यदि 30 दिन की सीमा से अधिक समय लिया जाता है तो एए को अपील पर आर्डर जारी करते समय लिखित में इसका कारण बताना होगा।

कृपया याद रखें -

- अपीलकर्ता क□ सीआईसी क□ दूसरी अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है। यह अपील चाहे निर्णय मिला ह□ अथवा नही□,एए के लिए नियत समय-सीमा पूरी ह□ने के 90 दिन के भीतर दाखिल की जा सकती है।

अपील पर निर्णय करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

आरटीआई अधिनियम केन्द्रीय सरकार क□ यह अधिकार प्रदान करता है कि शिकायतों और अपील पर निर्णय करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाए तथा किन नियमों का पालन किया जाए इसका फैसला करे। लेकिन, अपीलों पर विचार करते समय एए द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की क□ई बात नही□कही गई है। एए के लिए बेहतर ह□गा कि वह अपील सुनते समय किसी साधारण प्रक्रिया का अनुसरण करे।

यह भी सलाह दी जाती है कि अपील पर निर्णय की प्रक्रिया अपीलकर्ता के लिए कम से कम जटिल बनाई जाए। आरटीआई अधिनियम के अधीन अपील प्रक्रिया विरो□ाभासी नही□ह□नी चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता के लिए सूचना मा□ने या अधिनियम के अधीन अपील दायर करने का कारण बताना जरूरी नही□है। सूचना के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति न्यायस□ात है, यह साबित करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध सीपीआईओ का है। प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता क□ बुलाना भी जरूरी नही□हैं एए क□ स्वय□विचार कर यह निर्णय करना चाहिए कि क्या सीपीआईओ का निर्णय युक्तिस□ात है अथवा नही□। यदि अपीलकर्ता की उपस्थिति उसकी सूचना प्रार्थना में किसी स्पष्टीकरण के लिए अनिवार्य है त□ अपीलकर्ता क□ बुलाया जा सकता है।

इसी प्रकार सीपीआईओ क□ भी अनेक मामलों में बुलाना जरूरी नही□ह□ता। एए क□ केवल यह जा□च करनी है कि प्रार्थना अस्वीकृति अच्छी नीयत से की गई है और क्या प्रार्थित सूचना जन हित में दी जा सकती है। एए के पास दण्ड देने का अधिकार नही□है, अतः पीआईओ क□ अस्वीकृति स□ब□धी उसके निर्णय के पक्ष में कुछ कहने का अवसर देने का प्रश्न ही नही□उठता।

छूट तथा जन हित पर निर्णय

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जनता ऐसे मामलों में जहाँ सीपीआईओ ने धारा 8 में बताई गई छूट का हवाला देते हुए प्रार्थना अस्वीकृत की है, के विरुद्ध काफी अपील दायर करेगी। एए क□ इन छूट की व्याख्या करते हुए जन हित में जानकारी देने पर विचार करना ह□गा। केन्द्र सरकार ने इस स□ब□ध में क□ई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नही□किए हैं। सीपीआईओ या एए केवल सीआईसी के निर्णयों का आश्रय ले सकता है। सीआईसी के निर्णय उनकी वेबसाइट **http://cic.gov.in** पर उपलब्ध हैं। सलाह दी जाती है कि सार्वजनिक स□स्थाए□सीपीआईओ और एए के लिए सीआईसी के सभी उपलब्ध निर्णयों क□ स□दर्भ पुस्तिका के रूप में सुरक्षित रखें।